न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 80 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 21.09.2023

जितेन्द्र पुत्र पण्डा कंजर जाति कंजर निवासी दूनी ग्राम पंचायत दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.12.2022 तहसीलदार दूनी पत्रावली सं. 540 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री हफीजुल्ला खान, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 26.10.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2022 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.75 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी, तहसील दूनी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर राजस्व लगान राशि 6.00 रूपये का 50 गुना जुर्माना कुल 300 रू शास्ति अदा करने तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार का उक्त निर्णय विधि विधान एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने व बिना तथ्यों का विवेचन एवं ममन किये पारित किये होने से अपास्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से नोटिस पर अपीलांट की विधिवत रूप से तामील नहीं करवायी और बिना तामील के ही उक्त निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका के सशपथ बयान लिये बिना, अतिक्रमण वाली जमीन के नजदीक के खातेदारों के बयान लिये बिना व बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है व मौके पर वास्तविक रूप से बिना जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट का खसरा नम्बर 1410 या अन्य किसी भी गैर मुमकिन चरागाह या सरकारी जमीन पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। उक्त निर्णय छपे छपाये प्रोफार्मा में एक ही निर्णय पारित किया है जो स्पिकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। भूमि आराजी खसरा नम्बर 1410 का रकबा बहुत बडा रकबा है तथा प्रार्थी अपीलांट का उक्त भूमि के किस भाग पर तथा कितना कब्जा किस ओर है, साबित हुए बिना अपीलांट को एक तरफा निर्णय पारित कर सजायाब किया है। प्रार्थी अपीलांट ने निर्णय में आरोपित पेनाल्टी राशि जमा करा दी है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 की जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा में पारित किया है। अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब अपीलांट की अनुपस्थिति में पुलिस वाले अपीलांट के निवास स्थान पर आये और उक्त निर्णय की पालना करने हेतु आने पर प्रकरण में पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 11.09.2023 को ही नकल हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिसकी नकल सायंकाल 5 बजे प्राप्त होने पर समस्त कार्यवाही कर अपील पेश की गई है जो बिना किसी विलम्ब के पेश हैं। फिर भी यदि कोई विलम्ब माना जावे तो उसे कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से पेश है। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। इस संबंध में अपीलान्ट ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 28.12.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है व नोटिस पर अपीलांट की स्वयं की तामील हुई है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 494/2022 दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः संवत् 2079 फसल रबी में सरसों की बुवाई कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नं. 1410 रकबा 0.75 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2079 फसल रबी में सरसों की बुवाई कर अतिक्रमण किया था। अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन चरागाह भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है। अपीलांट के अभिभाषक का कथन हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। इस संबंध में अपीलांट द्वारा कब्जा छोड़ देने बाबत् न्यायालय हाजा में शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2022 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड व बेदखल करने की कार्यवाही को यथावत रखी जाती है, परन्तु सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटा लिया है। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है। अपीलांट द्वारा कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में या भविष्य में किसी अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक